राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर) सीकर

क्रमांक–एफ 16( ) [illegible] / ग्रामीण / [illegible] /08/ दिनांक

संपरिवर्तन आदेश

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 2 (505) राज/भू.रू./08 दिनांक 11.11.08 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में श्री स्वामी केशवानन्द शिक्षण संस्थान, पचार [illegible] अध्यक्ष श्री [illegible] स्वामी केशवानन्द शिक्षण संस्थान, पचार [illegible] सदस्य कार्यकारिणी श्री [illegible] के आवेदन पत्र [illegible] को खातेदारी अधिभृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 6 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:-

1	आवेदक खातेदार अधिभोगी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता।		स्वामी केशवानन्द शिक्षण संस्थान, पचार [illegible] अध्यक्ष, स्वामी केशवानन्द शिक्षण संस्थान, पचार
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा		
	(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम		ग्राम पचार, तहसील सीकर
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		खसरा 782/288 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा 917/781/285 रकबा 0.11 है., खसरा 918/780/285 रकबा 1.15 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.37 है.
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या में क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)		

टिप्पणी – अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शित हुए खसरा नक्शा के प्रमाणित भाग की [illegible] प्रति संलग्न है

4	संपरिवर्तन का प्रयोजन		शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5	प्रीमियम की दर		रुपये 21.92 प्रति वर्गमीटर की दर से 13700 वर्गमीटर के 300310/- रु. (नियमितिकरण का)
6	चालान की संख्या तथा तारीख जिसके द्वारा [illegible] की राशि		–
7	चालान की संख्या एवं तारीख सहित [illegible] यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि		चालान नं. [illegible] दिनांक 11.5.08 राशि रुपये 274000/- चालान नं. 404 दिनांक 15.1.09 राशि रु 2000/-
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित [illegible] यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि		शून्य
9	क्या [illegible] नियमितिकरण के लिये नियम [illegible] के अधीन [illegible] गया है?		हां, खसरा 782/288 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा 917/781/285 रकबा 0.11 है., खसरा 918/780/285 रकबा 1.15 है. कुल किता 3 कुल रकबा 1.37 है.
10	अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो		इण्डियन [illegible] की आवश्यकता के अनुसार भूमि [illegible] है।

Principal

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :

1. ईण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार [illegible] भूमि [illegible] हेतु संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
2. [illegible] नगर पालिका/स्थानीय निकाय की [illegible] अनुमति [illegible] निर्माण [illegible] के [illegible] अनुसार पूर्ण करवाना होगा।
3. कुल संपरिवर्तित भूमि का 10 प्रतिशत क्षेत्र [illegible] के लिए खुला छोड़ना होगा।
4. यदि [illegible] इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन के [illegible] राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा [illegible] सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
5. संबंधित ग्राम पंचायत के [illegible] होगा।
6. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6)राज-6/[illegible] दिनांक [illegible] के अनुसार [illegible] निर्माण कार्य [illegible] सुनिश्चित की जावेगी।
7. संपरिवर्तित भूमि का [illegible] के अनुसार [illegible] अधिकारी की लिखित सहमति के बिना [illegible] किया जा सकेगा।

[illegible]
(जिला कलक्टर [illegible])

क्रमांक–एफ.16 ([illegible])/भू.रू./[illegible]/[illegible] दिनांक [illegible]

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. [illegible]
2. संभागीय आयुक्त [illegible]
3. [illegible] अधिकारी [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]

[illegible]
(जिला कलक्टर [illegible])

५०रु.
भारत
INDIA
FIFTY RUPEES
50RS

कृषि भूमि खसरा नं. 285/2 रकबा 1.26 हैक्टेयर पुश्तैनी [illegible] है, जिसका विक्रेता नं.2 जोगेन्द्र सिंह खातेदार काश्तकार व मालिक है व उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में किसी अन्य का कोई हिस्सा नहीं है।

चूंकि हम विक्रेतागण को अपनी घरेलू आवश्यकता [illegible] को पूरा करने के लिए रुपयों की आवश्यकता है इसलिए विक्रेता नं. 1 सुरेन्द्र सिंह ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नं. 285/1 रकबा 0.11 हैक्टेयर सम्पूर्ण व विक्रेता नं.2 ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नं. 285/2 रकबा 1.26 हैक्टेयर में से 0.11 हैक्टेयर भूमि इस प्रकार कुल 0.22 हैक्टेयर भूमि विक्रय करने का निश्चय [illegible] [illegible] को [illegible] विक्रय राशि 44,000/- रुपये (चौवालीस हजार रुपये मात्र) [illegible]

[illegible]

[illegible]

अपनी उक्त वर्णित आराजी में से 1.15 हेक्टर भूमि को विक्रय करने का निश्चय कर इसी निश्चय के तहत आराजी खसरा नं0 790/285 रकबा 1.26 हेक्टर स्तन ग्राम भढाढर में से 1.15 हेक्टर भूमि को स्वामी केशवानन्द शिक्षण संस्थान, भढाढर तहसील व जिला सीकर जरिये अध्यक्ष जोरसिंह को बिलएवज 1,70,000/–रुपये अकेही एक लाख सत्तर हजार रुपये मात्र के प्रतिफल में बयकई विक्रय कर विक्रय राशि सम्पूर्ण क्रयकर्ता से नगद प्राप्त कर विक्रीत आराजी पर कब्जा, काश्त क्रयकर्ता का वास्तविक एवं व्यवहारिक रुप से करवा दिया है, तथा मैंने अपना कब्जा, काश्त कतई शून्य कर लिया है, तथा विक्रीत आराजी के विक्रय पेटे अब मुझ निष्पादनकर्ता को क्रयकर्ता से कुछ भी लेना बाकी नहीं रह गया है।

जो कि विक्रीत आराजी के बाबत आजतक जो हक, अधिकार, सुख, सुविधाएं आदि मुझ निष्पादनकर्ता को प्राप्त थी, व भविष्य में प्राप्त होती, वे समस्त सुविधाएं अब आज से क्रयकर्ता को मेरे समान प्राप्त हो चुकी है, तथा भविष्य में भी प्राप्त होती रहेगी। अब क्रयकर्ता को हक, अधिकार हो गये हैं कि वह इस विक्रीत आराजी को किसी भी प्रकार से प्रयुक्त करें, किसी को रहन या विक्रय करें, किसी दीगर रुप में प्रयुक्त करें, या अन्य किसी भी प्रकार से स्थानान्तरित करें, इसके लिये वह पूर्णतया सक्षम व साधिकारी है।

जो कि विक्रीत आराजी वर्तमान में हर प्रकार के ऋणभार, वाद–विवाद, दोष आदि से पूर्णतया शुद्ध एवं पवित्र है, फिर भी मुझ निष्पादनकर्ता या वारिसान निष्पादनकर्ता के किसी दोष या स्वामित्व की त्रुटि के कारण विक्रीत आराजी कुल या इसका कोई अंश क्रयकर्ता के कब्जे, हक, अधिकार आदि से निकल जायेगी तो क्रयकर्ता को होने वाली क्षतिपूर्ति का कुल उत्तरदायित्व सदैव मुझ निष्पादनकर्ता का ही होगा, जो क्रयकर्ता मेरी अन्य चल–अचल सम्पत्तियों से चाहे जिस प्रकार से वसूल कर लेवें, जिस पर मुझे या मेरे वारिसान को किसी भी प्रकार का कोई उज्र, आपत्ति, एतराज नहीं होगा।

जो कि विक्रीत आराजी से अब आज के पश्चात मुझ निष्पादनकर्ता स्वयं या वारिसान निष्पादनकर्ता का किसी भी प्रकार का [illegible]

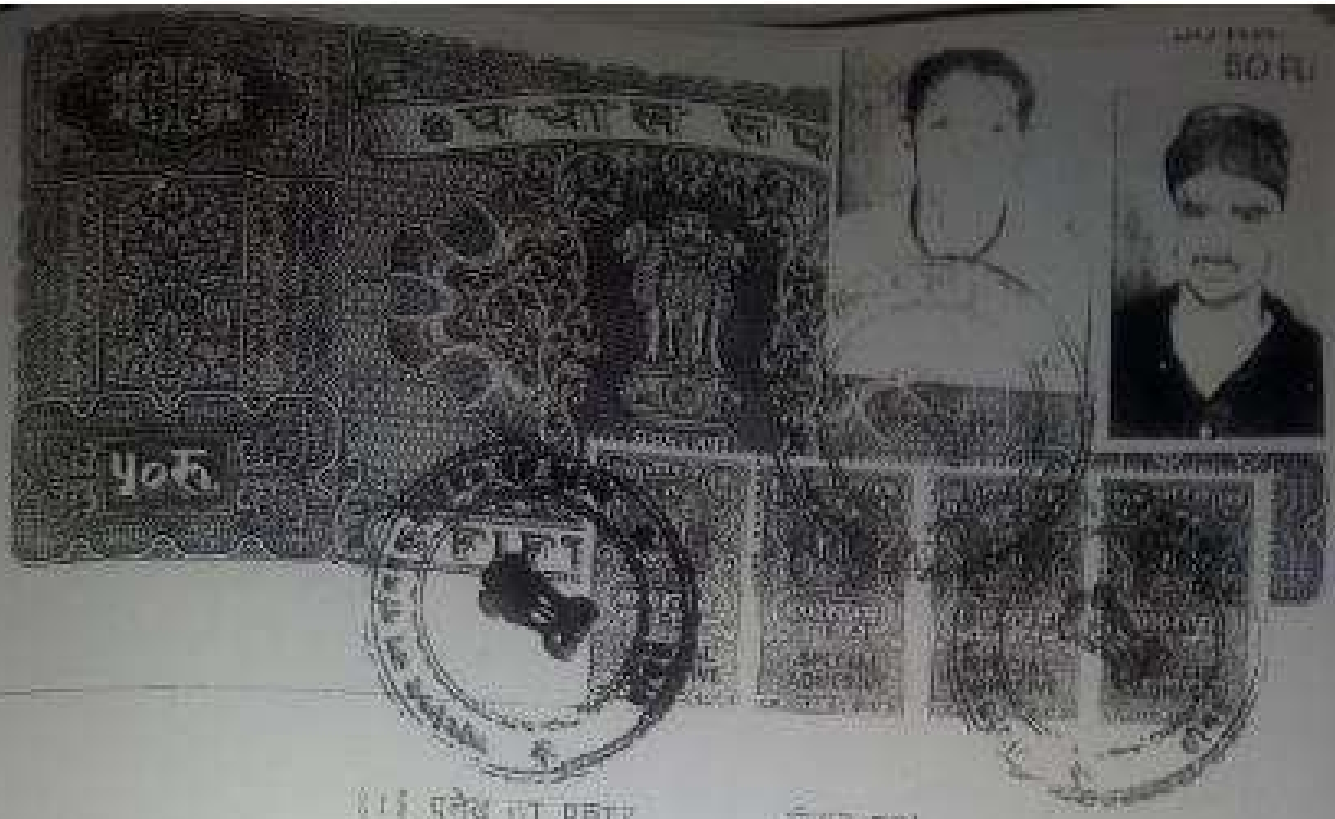

पचास रुपये

50 रु.

(1) प्रलेख का प्रकार — विक्रय-पत्र

(2) विक्रयकर्तागण — 1- सुरेन्द्र सिंह पुत्र [illegible] सिंह [illegible] जाट
2- [illegible] सिंह पुत्र रेवतराम जाति जाट
निवासीगण ग्राम भढाडर तहसील व जिला सीकर।

(3) क्रेतागण — "स्वामी केशवानन्द ग्रामीण संस्थान भढाडर जिला सीकर जरिये अध्यक्ष कार्यकारिणी [illegible] [illegible]

(4) विक्रयाधीन सम्पत्ति — ग्राम भढाडर तहसील [illegible] [illegible] खसरा नम्बर 265/1 रकबा 0.11 हैक्टर सम्पूर्ण व [illegible] 265/2 रकबा 1.26 हैक्टर में से 0.11 हैक्टर [illegible] कुल 0.22 हैक्टर

(5) विक्रय राशि — 44,000/- रुपये [illegible] चवालीस हजार रुपये मात्र

(6) स्टाम्प शुल्क — 4400/- रुपये [illegible] [illegible] 9-6-1999 [illegible]

(7) विक्रय-विलेख।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

राजस्थान RAJASTHAN

784215

है, फिर भी विक्रीत आराजी को लेकर निष्पादनकर्ता स्वयं या वारिसान निष्पादनकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का कोई उज्र, आपत्ति, क्लेम, दावा आदि किया जावेगा तो वह कार्यवाही सर्वथा गलत, शून्य एवं बातिल समझी जावेगी।

जो कि विक्रीत आराजी का राजस्व रिकॉर्ड वर्तमान में मुझ निष्पादनकर्ता के नाम से ही चला आ रहा है, जिसे अब क्रयकर्ता अपने नाम से दर्ज करवा लेवे, जिसमें मेरी किसी भी प्रकार से कोई भी आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं उपस्थित होकर होकर राजस्व रिकॉर्ड तथा क्रयकर्ता के नाम से तब्दील करवा दूंगा।

जो कि विक्रीत आराजी गांव की आबादी से एवं सड़क से काफी दूरी पर स्थित है, जिसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं है, मात्र एक फसली भूमि ही है।

अतः यह आलेख विक्रय–पत्र मुझ निष्पादनकर्ता ने होशहवास में बिना किसी नशेपते व बिना किसी दबाव नाजायज के समक्ष साक्षियान की उपस्थिति में तहरीर एवं तकमील कर दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे।

साक्षीगण

1–

2–

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

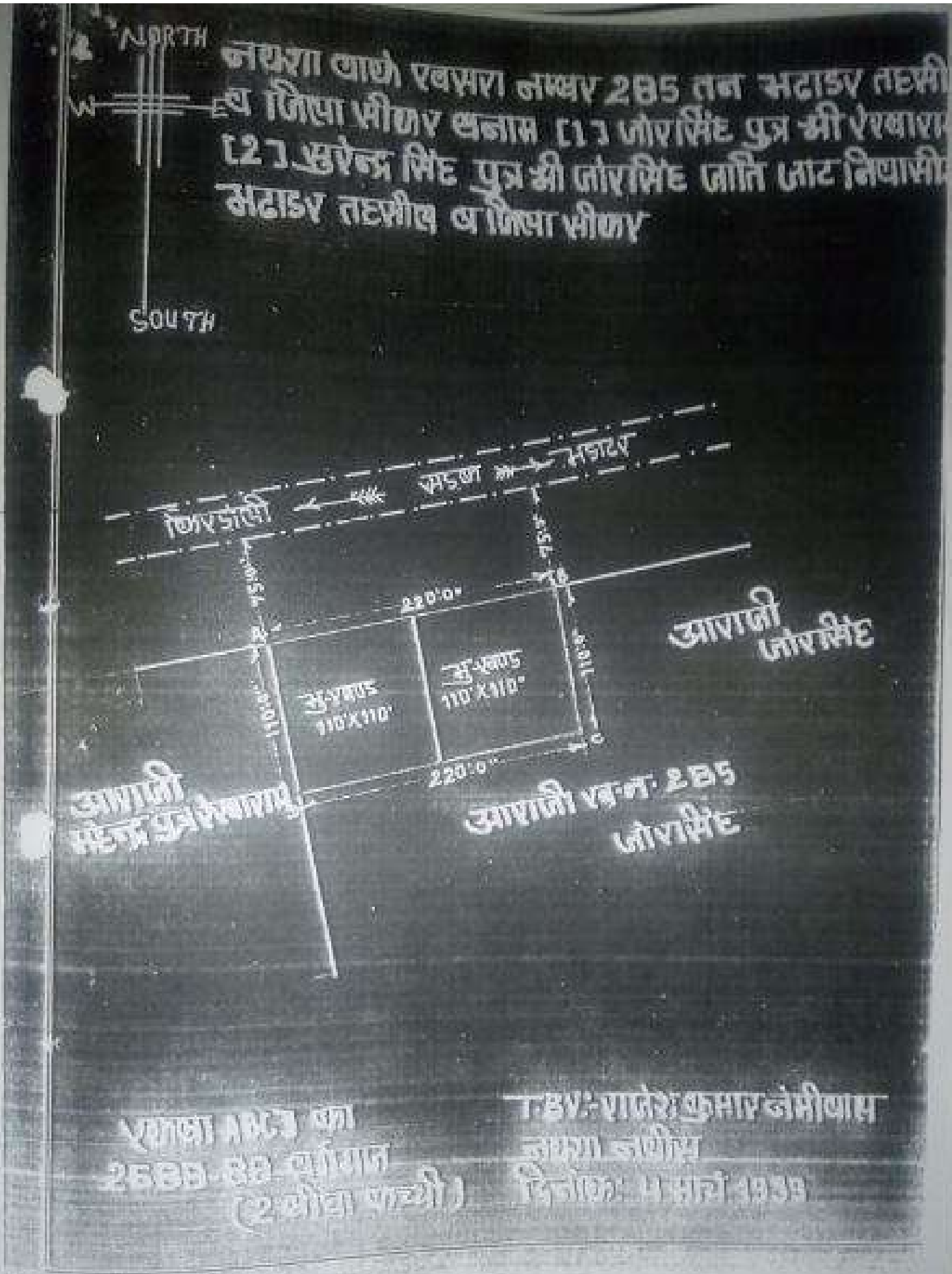

नक्शा वाके खसरा नम्बर 285 तन अटाडर तहसील व जिला सीकर बनाम [1] जोरसिंह पुत्र श्री ऐवारा [2] सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री जोरसिंह जाति जाट निवासी अटाडर तहसील व जिला सीकर

रकबा ABCD का
2688.88 वर्ग गज
(2 बीघा कच्चा)

By:- राजेश कुमार
दिनांक

अतः यह शुद्धि प्रलेख मुझ निष्पादनकर्ता ने होशोहवास में बिना किसी नशे पते व बिना किसी दबाव स्वेच्छा से गवाह साक्षीयान की उपस्थिति में तहरीर एवं तकमील कर दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे।

साक्षीगण

1-

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

2-